



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 2, रविवार शाके 1942- मार्च 22, 2020

Chaitra 2, Sunday, Saka 1942- March 22, 2020

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर मार्च 21, 2020

संख्या प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 :-विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में स्थित ऐसे निजी अस्पताल एवं निजी मेडिकल कॉलेज जिनकी बैड क्षमता 100 या 100 से अधिक है, को निर्देशित किया जाता है कि उनके यहां उपलब्ध बैड क्षमता के 25 प्रतिशत बैडों को कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित/संदिग्ध रोगियों के ईलाज/भर्ती के लिए आइसोलेशन वार्ड के लिए आरक्षित रखें।

इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित मरीजों के ईलाज हेतु आपके यहां उपलब्ध आई. सी. यू. में भी 25 प्रतिशत बैड आरक्षित रखें तथा समस्त आवश्यक उपकरण एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

रोहित कुमार सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव

3177

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।